

वन स्वरूप क्षेत्र प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (न्यू एन.एच. 09) (पुराना एन.एच-24) किमी० 136.480 से 141.780 की दांयी पटरी पर टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.3182 है० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। संरक्षित वनभूमि 0.3182 है० के गैर वानिकी प्रयोग हेतु संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त "वनस्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है। अपितु अमरोहा वन प्रभाग के अन्तर्गत कोई भी क्षेत्र वन स्वरूप क्षेत्र घोषित नहीं है।


प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।